बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–01, दिनांक– 28/12/2020

संचिका संख्या–टी–1/स्था० (1) 5/95–श्र०सं० 160 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।–

(1) यह नियमावली "बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग–1 के नियम–4 के उप–नियम (क) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2009 के भाग–1 के नियम–4 के उप–नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

क्रम सं०	पदनाम	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5
1	उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद	75 : 25	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष।	निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E Approved) से डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड विश्वविद्यालय) से केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। विशिष्ट योग्यता (एम०टेक):– किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E Approved) से एम०टेक डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड–विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव
2	प्राचार्य एवं समकक्ष पद	प्रथम प्रोन्नति स्तर (100% प्रोन्नति द्वारा)	----	---

3	उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष पद	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	----	----
4	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	----	---

3. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग–2 के नियम–9 के उप नियम (क) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2009 के भाग–2 का नियम–9 के उप नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

"उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया :– उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पद पर बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा अनुदेशक संवर्ग के वांछित शैक्षणिक योग्यता धारित करने वालें ग्रुप अनुदेशकों से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार नियुक्त किया जाएगा।

रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी और आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत कर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। आयोग द्वारा उम्मीदवारों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं 100 अंक की शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के योग्य के आधार पर की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नप्रकार होगा:–

(क) लिखित परीक्षा :– लिखित परीक्षा का स्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार :– शैक्षणिक योग्यता तथा विशिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 (एक सौ) अंक होगा, जिसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कुल– 40 अंक) :– निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा समकक्ष के लिए कुल 40 अंक। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.4 के गुणक से गुणा कर के होगा। उदाहरणस्वरूप :– यदि किसी अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो उसे 80X0.4 = 32 अंक मिलेंगे। परन्तु Cummulative Grade Point Average (CGPA) जिसमें अधिकतम CGPA = 10 हो उसके प्राप्तांक को 10 से गुणाकर उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

विशिष्ट योग्यता (एम०टेक) (कुल– 20 अंक) :– विशिष्ट योग्यता के लिए कुल अंक– 20 (बीस) एम0टेक में प्राप्त कुल प्राप्तांक हेतु अधिकतम :– 20 अंक विशिष्ट योग्यता पर अंकों का निर्धारण कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.20 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को एम0टेक में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80 हो तो उसे 80X0.20 = 16 अंक मिलेंगे। परन्तु Cummulative Grade Point Average (CGPA) जिसमें अधिकतम CGPA = 10 हो उसके प्राप्तांक को 10 से गुणाकर उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव (अधिकतम-- 10 अंक) :-

(1) न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एम०टेक के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो, में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होने पर 05 अंक तथा दो या दो से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक देय होगा।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एम०टेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर 05 अंक तथा दो या दो से अधिक वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

- प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 05 अंक, अधिकतम दो वर्ष हेतु 10 अंक।
- विशिष्ट योग्यता यथा एम०टेक के उपरान्त शिक्षण कार्य का अनुभव कंडिका-- (i) में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त होगा।

किसी भी स्थिति में कार्य अनुभव तथा शिक्षण कार्य अनुभव को मिलाकर अधिकतम 10 अंक हीं देय होगा।

साक्षात्कार (कुल अंक-- 30) :- साक्षात्कार का कुल पूर्णांक--30 (तीस) अंक होगा।"

4. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग--2 के नियम--14 का प्रतिस्थापन।-- उक्त नियमावली, 2009 के भाग--2 का नियम--14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ :- आयोग प्रायः सभी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा, किन्तु केवल उन उम्मीदवारों से साक्षात्कार करेगा, जिन्हें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त समझेगा। तकनीकी विशेषज्ञ, जिसे सरकार इसके लिए नामित करे, साक्षात्कार में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त आयोग अपने स्तर से भी तकनीकी विशेषज्ञ को रख सकेगा।"

5. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग--3 के नियम--21 का प्रतिस्थापन।-- उक्त नियमावली, 2009 के भाग--3 का नियम--21 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर प्रोन्नति उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष स्तर के पदधारकों को दी जायेगी। इसी प्रकार उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष स्तर के पद पर प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर को तथा प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के पद पर उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के पदधारकों को प्रोन्नति दी जायेगी। उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के 25 प्रतिशत पद पर बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के ग्रूप अनुदेशकों को, जो इस नियमावली के भाग--1 के नियम--4 के उप--नियम (क) के क्रमांक 1 के कंडिका 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारित कर रहे हैं, उन्हें वरीयतानुसार प्रोन्नति दी जायेगी।"

6. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग--3 के नियम--23 का प्रतिस्थापन।-- उक्त नियमावली, 2009 के भाग--3 का नियम--23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :--

"विभागीय प्रोन्नति समिति :– विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।"

7. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग–3 के नियम–24 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2009 के भाग–3 का नियम–24 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों के संदर्भ में राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय–समय वेतनमान सम्बन्धी निर्गत अनुदेश लागू होंगे।"

8. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग–3 के नियम–27 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2009 के भाग–3 का नियम–27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"परिवीक्षा की अवधि :– सेवा के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती या प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी सेवा के असंतोषजनक पाये जाने पर व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

विभागीय परीक्षा :– बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के सेवा सम्पुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पार्षद, बिहार द्वारा किया जायगा।

कोषागार प्रशिक्षण :– बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों का एक माह का कोषागार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा सम्पुष्टि के लिए कोषागार प्रशिक्षण आवश्यक है।

सेवा सम्पुष्टि :– परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी हो जाने, कोषागार प्रशिक्षण पूरा करने तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–टी–1/स्था० (1) 5/95 श्र०सं० 160 /पटना–01, दिनांक– 28/12/2010

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–टी–1/स्था० (1) 5/95 श्र०सं०......160......./पटना–01, दिनांक–28/12/2020

प्रतिलिपि–महालेखाकार बिहार, पटना/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या– टी–1/स्था० (1) 5/95 श्र०सं०......161......./अधिसूचना सं०....160.....दिनांक–28/12/2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मिहिर कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

BIHAR GOVERNMENT

Labour Resources Department

Notification

No.T-1/asth(1) 5/95-----160-----/In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend *The Bihar Industrial Training Service Rules, 2009* :-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These Rules may be called "THE BIHAR INDUSTRIAL TRAINING SERVICE (Amendment) RULES 2020"

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. **Substitution of Sub-Rule (a) of Rule 4 of part- I of the Bihar Industrial training Service Rules 2009**- Sub-Rule (a) of Rule 4 of part- I of the said Rules, 2009 shall be substituted by the following :-